रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072026-274680
CG-DL-E-21072026-274680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
No. 582] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 641(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय डोप-रोधी अधिनियम, 2022 (2022 का 15) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डोप-रोधी नियम, 2026 है।

(2) ये नियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) राष्ट्रीय डोप-रोधी नियम, 2021 तथा उनके अधीन किए गए अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी आदेश तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें राष्ट्रीय डोप-रोधी अधिनियम, 2022 के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश द्वारा अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता।

(4) इन नियमों का, अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी द्वारा की गई किसी कार्रवाई पर अध्यारोही प्रभाव नहीं होगा।

(5) इन नियमों का, अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की गई किसी कार्रवाई पर अध्यारोही प्रभाव नहीं होगा, किन्तु इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से उसके द्वारा किए जाने वाले नमूनों के विश्लेषणात्मक परीक्षण से संबंधित सभी विद्यमान प्रथाओं, प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करेंगे।

2. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय डोप-रोधी अधिनियम, 2022 (2022 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "खेल माध्यस्थम न्यायालय" से खेल से संबंधित विवादों का माध्यस्थम के माध्यम से निपटारा करने के लिए वर्ष 1984 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय निकाय अभिप्रेत है, जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है;

(ग) "प्रयोगशालाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक" से विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा अंगीकृत प्रयोगशालाओं से संबंधित मानक अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत उनमें किए गए संशोधन और उपांतरण भी सम्मिलित हैं;

(घ) "परिणाम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक" से विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा अंगीकृत परिणाम प्रबंधन से संबंधित मानक अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत उनमें किए गए संशोधन और उपांतरण भी सम्मिलित हैं;

(ङ) "परीक्षण और अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक" से विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा अंगीकृत परीक्षण और अन्वेषण से संबंधित मानक अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत उनमें किए गए संशोधन और उपांतरण भी सम्मिलित हैं;

(च) "प्रयोगशाला गतिविधियाँ" से डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत नमूनों का स्वीकार करना, उनका हस्तन, भंडारण तथा विश्लेषणात्मक परीक्षण करना, उनकी समीक्षा करना, परिणाम प्रस्तुत करना, प्रबंधन प्रणाली तथा सहायक सेवाएँ सम्मिलित हैं;

(छ) "राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला" से अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला तथा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला अभिप्रेत है; और

(ज)"अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है|

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों के, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम या संहिता में हैं।

अध्याय 2
खेलों में डोप-रोधी राष्ट्रीय बोर्ड

3. अध्याय 2 के लिए परिभाषाएँ— इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पदों से अभिप्रेत है, अर्थात्—

(क) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और

(ख) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि— (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2), (3) और (4) के उपबंधों के अनुसार अंशकालिक आधार पर की जाएगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अपनी नियुक्ति की तारीख से पूर्व के दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी अंतरराष्ट्रीय परिसंघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघ, प्रमुख स्पर्धा आयोजक संगठन, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति में कोई पद धारण किया हो अथवा खेल या डोप-रोधी उत्तरदायित्व वाले किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हो, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

(4) उपनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु-सीमा के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे।

5. सदस्यों की स्वतंत्रता और गोपनीयता— (1) प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में स्वतंत्रता और गोपनीयता की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) सदस्य, एजेंसी और केन्द्रीय सरकार से प्रचालनात्मक तथा संस्थागत रूप से स्वतंत्र होंगे तथा बोर्ड, एजेंसी, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य तृतीय पक्ष के किसी हस्तक्षेप के बिना अपनी कार्यवाही संचालित करेगा।

6. रिक्ति—अध्यक्ष या किसी सदस्य की किसी रिक्ति को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (6) के अनुसार भरा जाएगा।

7. सेवा की शर्तें— (1) अध्यक्ष और सदस्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए क्रमशः पच्चीस हजार रुपये और बीस हजार रुपये की बैठक फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) यदि बोर्ड द्वारा परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो अध्यक्ष और सदस्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए उनके द्वारा वातानुकूलित टैक्सी पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति पाने के हकदार होंगे और ऐसी प्रतिपूर्ति का दावा स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा।

(3) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने सामान्य निवास-स्थान से बाहर जाना अपेक्षित हो, तो वह यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा आवास की सुविधा उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो—

(क) अध्यक्ष के मामले में, भारत सरकार के सचिव को; और

(ख) अन्य सदस्यों के मामले में, भारत सरकार के अपर सचिव को, प्राप्त है।

8. अवशिष्ट उपबंध— इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, इस अध्याय के अधीन जिन विषयों के संबंध में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, वे केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिए उसे निर्दिष्ट किए जाएंगे।

अध्याय 3

राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी

9. महानिदेशक की नियुक्ति— (1) केन्द्रीय सरकार, लोक प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सत्यनिष्ठा तथा उत्कृष्ट योग्यता से युक्त व्यक्तियों में से एजेंसी के महानिदेशक की नियुक्ति करेगी।

(2) महानिदेशक की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन और शर्तें राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी, (महानिदेशक की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026 के अनुसार होंगी।

अध्याय 4

राष्ट्रीय डोप-रोधी अपील पैनल

भाग क

राष्ट्रीय डोप-रोधी अपील पैनल के सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि और पारिश्रमिक

10. अध्याय 4 के लिए परिभाषाएँ— इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पदों से अभिप्रेत है, अर्थात् —

(क) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियुक्त अपील पैनल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "सदस्य" से अपील पैनल के सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी हैं; और

(ग) "उपाध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियुक्त अपील पैनल का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है|

11. **अपील पैनल का गठन और नियुक्ति—** (1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बने एक स्वतंत्र अपील पैनल का गठन करेगी, अर्थात्:—

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों;

(ख) एक उपाध्यक्ष, जो विधि के विशेषज्ञ हों तथा जिन्हें वकालत का कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव हो;

(ग) दो सदस्य, जो पंजीकृत चिकित्सक हों तथा जिन्हें चिकित्सक के रूप में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव हो; और

(घ) दो सदस्य, जो कम-से-कम दस वर्ष तक प्रतिष्ठित खिलाड़ी या खेल प्रशासक हों या रह चुके हों।

(2) जिस व्यक्ति ने अपनी नियुक्ति की तिथि से पूर्व के दो वर्षों की अवधि के भीतर किसी अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघ, प्रमुख खेल आयोजन संगठन, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति में कोई पद धारण किया हो, उसे अपील पैनल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति करते समय, उनके डोप-रोधी क्षेत्र में अनुभव को ध्यान में रखेगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन अपील पैनल में नियुक्ति होने पर प्रत्येक सदस्य, अनुसूची 2 के प्ररूप क के अनुसार अपनी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की घोषणा प्रस्तुत करेगा, और यदि सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान ऐसे तथ्य या परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जिनसे उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठता हो, तो ऐसी घोषणा को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

12. पदावधि, पुनर्नियुक्ति और पारिश्रमिक— (1) अपील पैनल के सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे और अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे तथा अधिकतम दो और कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य अपील पैनल की प्रत्येक बैठक और सुनवाई में भाग लेने के लिए क्रमशः पच्चीस हजार रुपये और बीस हजार रुपये की फीस के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. त्यागपत्र— अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को अपना पद रिक्त कर दिया हुआ समझा जाएगा।

14. रिक्ति— अपील पैनल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को, उसके उत्पन्न होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

15. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जाना— (1) केन्द्रीय सरकार अपील पैनल के ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा देगी, जो—

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता से अंतर्वलित हो;

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया हो;

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ग) से (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर पद से हटाए जाने के लिए प्रस्तावित किसी सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा ऐसे आरोपों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अपील पैनल के अध्यक्ष को उसमें विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए संदर्भ पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के उपरांत, अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की अनुशंसा न कर दें।

16. अपील पैनल की परिचालन एवं संस्थागत स्वतंत्रता— (1) अपील पैनल के सदस्यों को, संहिता में यथापरिभाषित, बोर्ड और एजेंसी से परिचालन तथा संस्थागत स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

(2) अपील पैनल के किसी सदस्य की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसी में से नहीं की जाएगी, अर्थात्:—

(क) बोर्ड के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और परामर्शदाता;

(ख) एजेंसी या उसके संबद्ध निकायों के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और परामर्शदाता; तथा

(ग) भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल परिसंघों या उनके संबंधित शासी निकायों तथा संबद्ध निकायों के सदस्य और कर्मचारी।

(3) अपील पैनल का किसी भी प्रकार से एजेंसी द्वारा प्रशासन नहीं किया जाएगा, न ही वह उससे संबद्ध या उसके अधीन होगा, और वह बोर्ड, एजेंसी, केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य तृतीय पक्ष के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपनी सुनवाई तथा निर्णय करने की प्रक्रिया संचालित करेगा।

भाग ख
अपीलों से संबंधित उपबंध

17. अपील योग्य निर्णय— (1) अपील पैनल, अधिनियम के अधीन किए गए निम्नलिखित निर्णयों से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा फाइल अपील की सुनवाई करेगा, अर्थात्:—

(क) अधिनियम की धारा 5 के अधीन चिकित्सीय उपयोग छूट (Therapeutic Use Exemption) प्रदान करने से इंकार करने का निर्णय;

(ख) अधिनियम की धारा 6 के अधीन डोप-रोधी नियम उल्लंघन के लिए परिणाम अधिरोपित करने या न करने का निर्णय;

(ग) यह निर्णय कि डोप-रोधी नियम का उल्लंघन किया गया है, या यह निर्णय कि डोप-रोधी नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है;

(घ) यह निर्णय कि प्रक्रियात्मक कारणों, जिनमें नुस्खा (Prescription) भी सम्मिलित है, के कारण डोप-रोधी नियम उल्लंघन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती;

(ङ) एजेंसी द्वारा, परिणाम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार किए गए अन्वेषण के उपरांत, प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष या अप्रारूपिक निष्कर्ष को डोप-रोधी नियम उल्लंघन के रूप में आगे न बढ़ाने का निर्णय, अथवा डोप-रोधी नियम उल्लंघन की कार्यवाही को आगे न बढ़ाने का निर्णय;

(च) अनंतिम सुनवाई के परिणामस्वरूप अनंतिम निलंबन अधिरोपित करने या हटाने का निर्णय;

(छ) संहिता के अनुच्छेद 7.4 का एजेंसी द्वारा अनुपालन न करना;

(ज) यह निर्णय कि एजेंसी के पास कथित डोप-रोधी नियम उल्लंघन या उसके परिणामों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है;

(झ) संहिता के अनुच्छेद 10.7.1 के अधीन परिणामों को निलंबित करने या न करने अथवा परिणामों को पुनः लागू करने या न करने का निर्णय;

(ञ) संहिता के अनुच्छेद 7.1.5 का अनुपालन न करना;

(ट) संहिता के अनुच्छेद 10.8.1 का अनुपालन न करना;

(ठ) संहिता के अनुच्छेद 10.14.3 के अधीन किया गया निर्णय;

(ड) संहिता के अनुच्छेद 15 के अधीन किसी अन्य डोप-रोधी संगठन के निर्णय को लागू न करने का एजेंसी का निर्णय; तथा

(ढ) संहिता के अनुच्छेद 27.3 के अधीन किया गया निर्णय।

(2) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (9) के अनुसार, इस अध्याय के अधीन अपील पैनल द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, अपील खेल माध्यस्थम न्यायालय के समक्ष की जा सकेगी।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निर्णयों से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे निर्णयों के विरुद्ध अनुसूची 2 के प्ररूप ग में विनिर्दिष्ट रीति से अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

18. अपील फाइल करने की समय-सीमा— (1) व्यथित व्यक्ति, नियम 17 के अनुसार, निर्णय प्राप्त होने की तिथि से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर अपील फाइल करेगा।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो नियम 17 के उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट अपील योग्य निर्णय तक पहुँचने वाली कार्यवाही का पक्षकार नहीं था, उस निर्णय से व्यथित है और उसके विरुद्ध अपील फाइल करना चाहता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात्:—

(क) अपील योग्य निर्णय की सूचना प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर, ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, एजेंसी या अनुशासनात्मक पैनल से उस निर्णय से संबंधित संपूर्ण प्रकरण अभिलेख (case file) की प्रति माँगने का अधिकार होगा; और

(ख) यदि खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो ऐसा अनुरोध करने वाला व्यक्ति, उक्त प्रकरण अभिलेख प्राप्त होने की तिथि से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर अपील पैनल के समक्ष अपील फाइल करेगा।

(3) विश्व डोप-रोधी एजेंसी यदि कोई अपील फाइल करती है, तो नियम 17 के उप-नियम (1) में यथा निर्दिष्ट अपील योग्य निर्णयों के संबंध में, उप-नियम (2) के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील फाइल किए जाने की अंतिम तिथि के समाप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर अथवा उस निर्णय से संबंधित संपूर्ण प्रकरण अभिलेख प्राप्त होने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, इनमें से जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, अपील फाइल करेगी।

19. अपील पैनल—(1) अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (5) के अनुसरण में, नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन अपील पैनल में नियुक्त व्यक्तियों में से नियम 17 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यों का एक पैनल का गठन करेगा और प्रत्येक ऐसे पैनल में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जो पैनल के अध्यक्ष होंगे;

(ख) एक सदस्य, जो पंजीकृत चिकित्सक होगा; और

(ग) एक सदस्य, जो खेल प्रशासक होगा या सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित खिलाड़ी होगा:

परंतु पैनल का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो उस खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति, जो उक्त पैनल के समक्ष अपील का पक्षकार है, से संबंधित अन्वेषण, चिकित्सीय उपयोग छूट (Therapeutic Use Exemption) के निर्णय, पूर्व-अधिनिर्णयन (pre-adjudication) या परिणाम प्रबंधन, जिसमें अनुशासनात्मक पैनल या अपील पैनल के स्तर पर की गई कार्यवाही भी सम्मिलित है, में पूर्व में किसी भी स्तर पर शामिल न रहा हो।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन पैनल में नियुक्त कोई सदस्य किसी भी कारण से अपील की सुनवाई करने के लिए अनिच्छुक हो या असमर्थ हो, तो अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, युक्तियुक्त समय के भीतर नए पैनल का गठन कर सकेगा।

(3) यदि उप-नियम (1) के अधीन गठित पैनल के किसी सदस्य के संबंध में हितों के संभावित टकराव का कोई मामला हो, तो अपील के पक्षकार पैनल की संरचना को चुनौती दे सकेंगे और ऐसी चुनौती का निर्णय अपील पैनल का ऐसा सदस्य करेगा, जो उक्त पैनल का सदस्य न हो।

(4) उप-नियम (1) के अधीन पैनल के गठन के उपरांत, उस पैनल का प्रत्येक सदस्य अनुसूची 2 के प्ररूप ख के अनुसार निष्पक्षता की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति अपील के पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

20. अपील पैनल के समक्ष सुनवाई- (1) नियम 19 के उप-नियम (1) के अधीन गठित पैनल, नियम 17 के अधीन फाइल अपील का निर्धारण करने के उपरांत, संबंधित पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तिथि विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना जारी करेगा।

(2) अपील पैनल के समक्ष अभिवचनों में विनिर्दिष्ट पते पर तामील हेतु पक्षकारों को निम्नलिखित रीति से सूचना तामील की जाएगी, अर्थात्:—

(क) उस व्यक्ति या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को ई-मेल के माध्यम से सूचना पहुँचाकर या सौंपकर; या

(ख) उसके निवास-स्थान, या अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, अथवा उस स्थान जहाँ वह व्यवसाय करता है या अंतिम बार करता था, या जहाँ वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अंतिम बार आजीविका के लिए कार्य करता था, के पते पर पावती सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना भेजकर; या

(ग) उस परिसर के बाहरी द्वार या किसी अन्य दृष्टिगोचर स्थान पर, जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है या अंतिम बार निवास करता था, या व्यवसाय करता है या अंतिम बार करता था, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अंतिम बार आजीविका के लिए कार्य करता था, सूचना चस्पा करके, जिसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यांकित होगी; या

(घ) यदि सूचना की तामील खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नहीं हो सके, तो उस क्षेत्र या अधिकारिता में, जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है या अंतिम बार निवास करता था, या व्यवसाय करता है या अंतिम बार करता था, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अंतिम बार आजीविका के लिए कार्य करता था, व्यापक प्रसार वाले एक प्रमुख स्थानीय भाषा के समाचारपत्र तथा एक अंग्रेज़ी समाचारपत्र में उसका प्रकाशन कराकर।

(3) अपील के पक्षकार, उप-नियम (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट सुनवाई की तिथि या सुनवाई के स्थगित किए जाने पर नियत किसी अन्य तिथि को, अपने स्थान पर संबंधित पैनल के समक्ष उपस्थित होने, अभिवचन करने तथा कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकेंगे।

(4) यदि पैनल की राय में उसके समक्ष उपस्थित किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो पैनल, अपील पैनल के व्यय पर उसके प्रतिरक्षण के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकेगा।

(5) पैनल किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व पक्षकारों को निम्नलिखित के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी, अर्थात्:—

(क) सुनवाई का;

(ख) सुसंगत साक्ष्यों तक पहुँच प्राप्त करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने का;

(ग) लिखित एवं मौखिक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का; तथा

(घ) साक्षियों को बुलाने तथा उनका परीक्षण करने का।

(6) सुनवाई के पक्षकार, उप-नियम (1) के अधीन सूचना जारी होने की तिथि से बीस दिनों के भीतर तथा, जहाँ तक व्यावहारिक हो, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रीति से अपने लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे:

परंतु यदि उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट रीति से अभ्यावेदन प्रस्तुत करना संभव न हो, तो सुनवाई के पक्षकार अपने लिखित अभ्यावेदन में किए गए कथनों के समर्थन में पर्याप्त विवरण और दस्तावेजों सहित अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।

(7) यदि कोई पक्षकार उपनियम (3) के अधीन पैनल के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो पैनल, यथास्थिति, संबंधित पक्षकारों के लिखित अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, एजेंसी या अनुशासनात्मक पैनल के उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपील का निर्णय करेगी।

(8) संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ, भारतीय ओलंपिक संघ या भारतीय पैरालंपिक समिति तथा विश्व डोप-रोधी एजेंसी के प्रतिनिधियों को अपील पैनल की सुनवाई में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

(9) अपील पैनल यथासंभव शीघ्र सुनवाई पूरी करेगा और अपील किए गए आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अपील का निस्तारण करने का प्रयास करेगा:

परंतु यदि सुनवाई किसी प्रतियोगिता अथवा उस प्रतियोगिता से संबंधित किसी खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति के संबंध में हो, तो अपील पैनल ऐसे मामले के निस्तारण के लिए कम अवधि निर्धारित कर सकेगा।

(10) अधिनियम तथा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील पैनल को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और वह संहिता तथा परिणाम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अपीलों की सुनवाई और अवधारण करने का प्रयास करेगा।

21. अपील पैनल का निर्णय— (1) नियम 20 के अधीन सुनवाई पूर्ण होने पर, अपील पैनल अधिनियम, संहिता तथा परिणाम प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए, लिखित रूप में अपना आदेश जारी करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कोई भी आदेश, जहाँ तक लागू हो, निम्नलिखित से युक्त होगा:

(क) अधिकार-क्षेत्र का आधार तथा लागू नियम एवं विनियम;-

(ख) विस्तृत तथ्यात्मक पृष्ठभूमि;-

(ग) किए गए डोप रोधी नियम उल्लंघन;-

(घ) लागू परिणाम;- और

(ङ) एथलीट या अन्य व्यक्ति हेतु अपील के मार्ग तथा अपील फाइल करने की समय-सीमाएँ।

(3) अपील पैनल उप-नियम (1) के अधीन दिए गए निर्णय की सूचना निम्नलिखित को समय से देगा—

(क) संबंधित पक्षकारों को;

(ख) संबंधित एथलीट या अन्य व्यक्ति के राष्ट्रीय खेल संघ को;

(ग) अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (9) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपील के अधिकार रखने वाले अन्य निकायों को; तथा

(घ) संहिता के अधीन स्थापित डोप रोधी प्रशासन एवं प्रबंधन प्रणाली को।

(4) एजेंसी संहिता के अनुच्छेद 14.3 की अपेक्षानुसार, उप-नियम (1) के अधीन दिए गए निर्णय का सार्वजनिक प्रकटीकरण करेगी।

(5) इस भाग के अधीन डोप रोधी नियम उल्लंघनों के परिणामों के संबंध में सभी सुनवाई एवं अवधारण अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार किए जाएंगे।

अध्याय 5

डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ

भाग क:-

भाग क: डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं मान्यता

22. राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला—(1) अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित एवं उसी रूप में कार्यरत राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, जिसे धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन प्रधान डोप परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, अधिसूचना की तिथि से इन नियमों द्वारा शासित होगी।

(2) केंद्रीय सरकार भारत के किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकेगी, और ऐसी प्रत्येक प्रयोगशाला को प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, विश्व डोप-रोधी एजेंसी (वाडा) तथा अन्य ऐसे प्रत्यायन निकायों से आवश्यक प्रत्यायन प्राप्त करना तथा उसे बनाए रखना होगा।

23. डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता—केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा भारत में स्थित एक या अधिक प्रयोगशालाओं को भी डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी, परंतु ऐसी प्रयोगशाला, प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट प्रयोगशाला के रूप में अपेक्षित प्रत्यायन या अनुमोदन प्राप्त करे तथा उसे बनाए रखे।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट प्रयोगशाला वह विशेषीकृत प्रयोगशाला है जिसे एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट कार्यक्रम हेतु रक्त विश्लेषण करने के लिए विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

भाग ख

डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं पर लागू उपबंध

24. डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कार्य—प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:—

(क) नियम 25 के अनुसार एथलीटों के नमूनों से संबंधित परीक्षण परिणामों का विश्लेषण, परीक्षण एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ख) नियम 30 के उप-नियम (2) के अनुसार खेलों में डोपिंग की रोकथाम एवं उसके विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा देना तथा समर्थन करना;

(ग) विश्लेषणात्मक परीक्षणों, प्रत्यायन प्रक्रिया तथा आचार संहिता के गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग 17025 (आईएसओ/आईसी 17025), जिन्हें विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा स्वीकृत एवं अंगीकृत किया गया है, के अनुसार बनाए रखना;

(घ) नियम 29 के अनुसार विश्लेषणात्मक परीक्षणों के संचालन में व्यावसायिक आचार एवं सार्वजनिक विश्वसनीयता बनाए रखना;

(ङ) संहिता, प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा अभिसमय में निर्धारित उपायों के सिद्धांतों के अनुपालन हेतु नीतियों, नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना;

(च) अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं, विश्व डोप-रोधी एजेंसी से प्रत्यायन या अनुमोदन प्राप्त अंतरराष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं, संहिता के हस्ताक्षरकर्ताओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग करना, ताकि डोप रोधी क्षेत्र में नवीनतम विकासों की जानकारी प्राप्त की जा सके;

(छ) डोप रोधी क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा अनुसंधान संस्थानों एवं अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा विश्व डोप-रोधी एजेंसी से प्रत्यायन या अनुमोदन प्राप्त अंतरराष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ अनुसंधान सहयोग स्थापित करना; तथा

(ज) संहिता एवं प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोई अन्य कार्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

25. एथलीटों के नमूनों का परीक्षण—(1) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला उन एथलीटों के नमूने प्राप्त कर सकेगी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एवं अन्वेषण मानक में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार एकत्रित, सील एवं परिवहन कर उसे भेजा गया हो।

(2) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला उप-नियम (1) के अनुसरण में प्राप्त नमूनों का विश्लेषण प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगी।

(3) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला नमूनों के विश्लेषण को प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, या डोप रोधी संगठन तथा डोप परीक्षण प्रयोगशाला के बीच सहमति अनुसार, पूर्ण करेगी।

(4) नमूने के प्रसंस्करण, विश्लेषण एवं अन्वेषण के पश्चात, डोप परीक्षण प्रयोगशाला—

(क) नकारात्मक, सकारात्मक अथवा अप्रारूपिक निष्कर्ष अथवा अविश्लेषित परिणाम के आधार पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचेगी तथा प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, संबंधित हस्ताक्षरकर्ता एवं विश्व डोप-रोधी एजेंसी को डोप रोधी प्रशासन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से विश्लेषणात्मक परीक्षण एवं अन्वेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; तथा

(ख) प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा संहिता में निर्धारित मानकों के अनुसार नमूने का भंडारण करेगी तथा विश्लेषणात्मक आंकड़ों एवं सूचनाओं का रख-रखाव करेगी।

(5) डोप परीक्षण प्रयोगशाला, डोप रोधी संगठन की पूर्व स्वीकृति तथा प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, सीमित परिस्थितियों में, जहाँ ऐसी प्रयोगशाला किसी विशिष्ट परीक्षण को करने की कार्यविधि या क्षमता नहीं रखती हो, अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं या विश्व डोप-रोधी एजेंसी से प्रत्यायित अंतरराष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं को नमूनों के विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु उप-अनुबंध प्रदान कर सकेगी।

26. डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए मानक—(1) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला अपनी सभी गतिविधियों में, जिनमें विश्लेषणात्मक एवं अभिरक्षात्मक मानक सम्मिलित हैं, प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगी।

(2) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में यथाविनिर्दिष्ट विश्वसनीय साक्ष्यगत आंकड़ों पर आधारित वैध परीक्षण परिणाम प्रस्तुत करेगी।

27. परीक्षण हेतु प्रयोगशाला सुविधाएँ एवं उपकरण—(1) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार निम्नलिखित सुविधाओं सहित होगी—

(क) पर्याप्त प्रयोगशाला एवं प्रशासनिक स्थान, जिससे विश्लेषणात्मक एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु पृथक, निर्बंधित एवं समर्पित क्षेत्र उपलब्ध हों;

(ख) समर्पित एवं निर्बंधित नमूना प्रबंधन तथा नमूना भंडारण क्षेत्र;

(ग) फायरवॉल तथा अन्य साइबर सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना;

(ङ) आंकड़ा एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन;

(च) सुरक्षित डेटा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने वाला इंटरनेट का केंद्रीय सर्वर; तथा

(छ) तकनीकी सहायता एवं उपकरण अनुरक्षण सेवाओं की शर्तें।

(2) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला, प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उपयुक्त उपकरणों से सुसज्जित होगी, जिनमें मापन उपकरण, सॉफ्टवेयर, मापन मानक, संदर्भ सामग्री, संदर्भ संग्रह, रसायन, अभिकर्मक, उपभोज्य सामग्री अथवा सहायक उपकरण सम्मिलित हैं, ताकि प्रयोगशाला गतिविधियों के निष्पादन में सटीकता एवं अनुरेखणीयता सुनिश्चित की जा सके।

(3) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला अपनी गुणवत्ता पुस्तिका तैयार करेगी तथा सभी प्रक्रियाएँ अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग 17025 (आईएसओ/आईसी 17025), प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा स्वीकृत एवं अंगीकृत संबंधित तकनीकी दस्तावेजों एवं तकनीकी पत्रों की अपेक्षाओं के अनुसार संचालित करेगी।

(4) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोगशाला संचालन हेतु महत्वपूर्ण सभी उपकरणों एवं यंत्रों के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियाँ प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उपलब्ध हों।

(5) डोप परीक्षण प्रयोगशाला एवं उससे संबंधित सुविधाओं का कोई भी स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग 17025 (आईएसओ/आईसी 17025) तथा प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार किया जाएगा।

28. निष्पक्षता, गोपनीयता एवं सुरक्षा—(1) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला अपनी कार्यप्रणालियों में आंकड़ों, सूचनाओं एवं प्रचालन की निष्पक्षता तथा गोपनीयता को प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुनिश्चित करेगी।

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, डोप परीक्षण प्रयोगशाला कार्य में लगाए गए सभी कार्मिक, जिनमें सेवा प्रदाता, किसी बाहरी संस्था के कार्मिक तथा ऐसी प्रयोगशाला की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है, प्रयोगशाला के कार्यों के दौरान या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त अथवा तैयार की गई सभी सूचनाओं को गोपनीय रखेंगे।

(3) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला आँकड़ों और सूचनाओं तक अप्राधिकृत पहुँच तथा उनकी अप्राधिकृत प्रतिलिपि बनाए जाने की रोकथाम और उसका पता लगाने के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों के अनुरूप तकनीकी एवं संगठनात्मक सुरक्षा उपाय लागू करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाए।

29. नमूना परीक्षण में व्यावसायिक आचार एवं सार्वजनिक विश्वसनीयता—(1) विश्लेषणात्मक परीक्षणों के संचालन में व्यावसायिक आचार एवं सार्वजनिक विश्वसनीयता बनाए रखने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक डोप परीक्षण

प्रयोगशाला प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों, जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट आचार संहिता भी सम्मिलित है, का अनुपालन करेगी।

(2) उप-नियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला—

(क) अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन दक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ करेगी;

(ख) एथलीट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ या प्रतिबंधित पद्धति के उपयोग को सिद्ध करने हेतु केवल विश्लेषणात्मक साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूने का परीक्षण करेगी;

(ग) प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नमूनों का परीक्षण एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी;

(घ) एथलीटों की गोपनीयता एवं निजता को बनाए रखेगी तथा उसे बढ़ावा देगी;

(ङ) विश्लेषणों के परिणामों का उपयोग किसी एथलीट के विरुद्ध हानि पहुँचाने, अथवा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं करेगी;

(च) अपेक्षित होने पर, यथास्थिति, अनुशासनिक पैनल अथवा अपील पैनल को, विश्लेषणात्मक परीक्षण के वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराएगी;

(छ) एथलीट से प्रत्यक्ष रूप से नमूने स्वीकार नहीं करेगी;

(ज) एथलीट को परीक्षण पद्धति संबंधी ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगी, जिसका उपयोग खेलों में डोपिंग की पहचान से बचने के लिए किया जा सके; तथा

(झ) किसी भी खिलाड़ी को प्रतिनिधिक नमूना दिए जाने से बचने के संबंध में कोई सलाह नहीं देगी, जिसमें निषिद्ध पदार्थों को छिपाने की रणनीतियों या उनकी पहचान की समयावधि (डिटेक्शन विंडो) से संबंधित सलाह भी सम्मिलित है।

30. निधियों की स्वीकृति एवं उपयोग—(1) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला, प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुपालन में अनुदान, प्रायोजन, दान, अंशदान, सहायता अथवा परीक्षण शुल्क स्वीकार करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन संग्रहित रकम का उपयोग डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों हेतु किया जा सकता है—

(क) डोप रोधी क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों का समर्थन करना; तथा

(ख) खेलों में डोपिंग एवं डोप परीक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन तथा उनमें भाग लेना।

31. डोप परीक्षण प्रयोगशाला की प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक स्वतंत्रता—(1) प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला के अधिकारी एवं कर्मचारी बोर्ड, एजेंसी, किसी डोप रोधी संगठन, किसी अन्य खेल संगठन, अथवा सरकार या खेल विभाग या खेल प्रदर्शन हेतु उत्तरदायी किसी अन्य सरकारी निकाय से प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक स्वतंत्रता रखते हुए कार्य करेंगे तथा ऐसे निकायों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों एवं निर्णय-प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे।

(2) डोप परीक्षण प्रयोगशाला के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसी के मध्य से नहीं की जाएगी—

(क) बोर्ड के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी एवं परामर्शदाता;

(ख) एजेंसी के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी एवं परामर्शदाता; तथा

(ग) भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघों अथवा उनके संबंधित बोर्डों एवं संबद्ध इकाइयों के सदस्य एवं कर्मचारी।

32. एथलीटों से भिन्न नमूना विश्लेषण करने की डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता — (1) डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नियम 25 में यथा उपबंधित एथलीटों से संबंधित मामलों को छोड़कर, उन विश्लेषणों हेतु नमूने स्वीकार कर सकेगी जो विश्व डोप-रोधी एजेंसी के प्रत्यायन के दायरे में नहीं आते, जिनमें पशु खेल परीक्षण, फॉरेंसिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण तथा दुरुपयोगी औषधियों का परीक्षण सम्मिलित है।

(2) उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट परीक्षण करने वाली डोप परीक्षण प्रयोगशाला ऐसे किसी परीक्षण को अपने विश्व डोप-रोधी एजेंसी प्रत्यायन प्रास्थिति के अधीन सम्मिलित के रूप में घोषित या प्रस्तुत नहीं करेगी।

33. नमूनों का द्वितीयक उपयोग या निस्तारण— प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला नमूनों के द्वितीयक उपयोग या निस्तारण के संबंध में प्रयोगशालाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक में यथाविनिर्दिष्ट मानकों का पालन करेगी।

अध्याय 6

संरक्षित व्यक्ति, गैर-पेशेवर खिलाड़ी एवं अवयस्क

34. अध्याय 6 के लिए परिभाषाएँ—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नलिखित होगा—

(क) "अवयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु अठारह वर्ष की न हुई हो;

(ख) "संरक्षित व्यक्ति" से वह एथलीट या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने डोप रोधी नियम उल्लंघन के समय—

(i) सोलह वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ; या

(ii) अठारह वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा किसी पंजीकृत परीक्षण पूल में शामिल न हो और जिसने कभी भी खुले प्रवर्ग में किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग न लिया हो; या

(iii) जिसे आयु के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से, भारत में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार, समुचित दस्तावेजों के आधार पर विधिक रूप से अक्षम माना गया हो;

(ग) "गैर-पेशेवर खिलाड़ी" से वह एथलीट अभिप्रेत है जो फिटनेस के प्रयोजनों के लिए खेलों में भाग लेता है या संलग्न रहता है, किंतु अन्यथा किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता:

परंतु इसमे कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जिसने किसी भी डोप रोधी नियम उल्लंघन से पूर्व पाँच वर्षों के भीतर— अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एवं जांच हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा यथा परिभाषित अंतरराष्ट्रीय-स्तर के एथलीट के रूप में, अथवा प्रत्येक राष्ट्रीय डोप रोधी संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एवं जांच हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप परिभाषित राष्ट्रीय-स्तर के एथलीट के रूप में कार्य किया हो, या किसी खुले वर्ग में किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी देश का प्रतिनिधित्व किया हो, या किसी अंतरराष्ट्रीय महासंघ अथवा राष्ट्रीय डोप रोधी संगठन द्वारा रखे गए किसी भी पंजीकृत परीक्षण पूल या अन्य उपस्थिति सूचना पूल में सम्मिलित रहा हो।

35. दायरा एवं उप प्रयोज्यता—यह अध्याय संरक्षित व्यक्ति, गैर-पेशेवर खिलाड़ी एवं अवयस्क पर लागू होगा।

36. संरक्षित व्यक्ति के संबंध में नमूना संग्रह, परीक्षण, अन्वेषण एवं सुनवाई— (1) जो संरक्षित व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय-स्तर का एथलीट या राष्ट्रीय-स्तर का एथलीट है, वह अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार परीक्षण एवं अन्वेषण के अधीन होगा।

(2) संरक्षित व्यक्ति का माता-पिता, विधिक अभिभावक या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि, नमूना संग्रह की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान तथा अनुशासनिक पैनल या अपील पैनल, यदि कोई हो, के समक्ष होने वाली कार्यवाही में उपस्थित रह सकेगा:

परंतु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर, यथास्थिति, अनुशासनिक पैनल या अपील पैनल के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो संबंधित पैनल अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों या विनियमों के अनुसार मामले का निर्णय करेगा।

(3) संरक्षित व्यक्ति के नमूनों का संग्रहण सभी एथलीटों पर लागू अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एवं जांच मानक के अनुसार किया जाएगा, जब तक कि संरक्षित व्यक्ति की विधिक क्षमता के कारण आवश्यक उपांतरण न किए जाएँ, परंतु नमूना संग्रह प्रक्रिया की अखंडता से कोई समझौता न किया जाए।

(4) जहाँ किसी संरक्षित व्यक्ति को डोप रोधी नियम उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, वहाँ एजेंसी ऐसे संरक्षित व्यक्ति से संबद्ध एथलीट सहायता कर्मियों के विरुद्ध अन्वेषण करेगी।

37. डोप रोधी नियम उल्लंघनों के परिणाम— (1) संरक्षित व्यक्तियों एवं गैर-पेशेवर एथलीटों के संबंध में डोप रोधी नियम उल्लंघनों के परिणाम, नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट उल्लंघनों को छोड़कर, इस संबंध में एजेंसी द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे—

क्रं.सं.	डोप रोधी नियम उल्लंघन	परिणाम
1.	अधिनियम की अनुसूची में समाविष्ट संहिता के अनुच्छेद 2.3 एवं अनुच्छेद 2.5	***संरक्षित व्यक्ति या गैर-पेशेवर खिलाड़ी के लिए=*** संरक्षित व्यक्ति या गैर-पेशेवर खिलाड़ी की दोष-स्तर की मात्रा के आधार पर— **(क)** न्यूनतम— चेतावनी तथा अयोग्यता की कोई अवधि नहीं; तथा **(ख)** अधिकतम— दो वर्ष की अयोग्यता की अवधि।
2.	**अधिनियम की अनुसूची में समाविष्ट संहिता के अनुच्छेद 2.7 एवं अनुच्छेद 2.8**	*संरक्षित व्यक्ति या गैर-पेशेवर खिलाड़ी के लिए=* इसे एक विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर— **(क)** न्यूनतम— चार वर्ष की अयोग्यता की अवधि; तथा **(ख)** अधिकतम— आजीवन अयोग्यता। *एथलीट के सहायक कर्मियों के लिए=* संरक्षित व्यक्ति से संबंधित उल्लंघन को एक विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। विनिर्दिष्ट पदार्थों से भिन्न उल्लंघनों के मामले में आजीवन अयोग्यता लागू होगी, तथा ऐसे कर्मियों को भारत में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार सक्षम प्रशासनिक, व्यावसायिक अथवा न्यायिक प्राधिकरणों को रिपोर्ट किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, उन डोप रोधी नियम उल्लंघनों के संबंध में जो दुरुपयोगी पदार्थ अंतर्वलित नहीं करते हैं, तथा जहाँ संरक्षित व्यक्ति या गैर-पेशेवर खिलाड़ी यह सिद्ध कर देता है कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दोष या उपेक्षा नहीं है, वहाँ अयोग्यता की अवधि निम्नलिखित होगी—

(क) न्यूनतम— चेतावनी तथा अयोग्यता की कोई अवधि नहीं; तथा

(ख) अधिकतम— दो वर्ष की अयोग्यता की अवधि, जो संरक्षित व्यक्ति या गैर-पेशेवर खिलाड़ी की दोष-स्तर की मात्रा पर निर्भर होगी।

38. डोप रोधी नियम उल्लंघन के परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण— (1) संहिता के अनुच्छेद 14.3.2 के अधीन परिणामों के अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण की अपेक्षा वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ डोप रोधी नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया एथलीट या अन्य व्यक्ति अवयस्क, संरक्षित व्यक्ति या गैर-पेशेवर खिलाड़ी हो।

(2) संहिता के अधीन किसी भी वैकल्पिक सार्वजनिक प्रकटीकरण की अपेक्षा, जो अवयस्क, संरक्षित व्यक्ति या गैर-पेशेवर खिलाड़ी से संबंधित हो, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुपात में होगी।

39. डोप रोधी नियम उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों का पुनर्वास—एजेंसी ऐसे अवयस्क, संरक्षित व्यक्ति एवं गैर-पेशेवर खिलाड़ी के पुनर्वास हेतु, जो किसी डोप रोधी नियम उल्लंघन में दोषी पाए गए हों, दिशानिर्देश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

40. अयोग्यता की अवधि के दौरान संरक्षित व्यक्ति के साथ प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर निषेध—जिस एथलीट या अन्य व्यक्ति पर चार वर्ष से अधिक की अयोग्यता की अवधि लागू हो, वह ऐसी अयोग्यता अवधि पूर्ण करने के पश्चात एथलीट के रूप में स्थानीय खेल आयोजनों में भाग ले सकेगा है, परंतु ऐसे स्थानीय खेल आयोजन किसी भी संहिता हस्ताक्षरकर्ता या संहिता हस्ताक्षरकर्ता के सदस्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत न हों या उनके अधीन न हों, तथा केवल तब तक, जब तक वह स्थानीय खेल आयोजन ऐसे स्तर का न हो जो संबंधित एथलीट या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राष्ट्रीय चैंपियनशिप या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य बनाए (या उसके लिए अंक अर्जित करने में सक्षम बनाए), और ऐसे आयोजन में संबंधित एथलीट या अन्य व्यक्ति द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के साथ किसी भी क्षमता में कार्य करना अंतर्वलित न हो।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

41. **लेखा का वार्षिक विवरण और अन्य सुसंगत रिकॉर्ड—**(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, बोर्ड, एजेंसी, अपील पैनल तथा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, भारत सरकार के सांविधिक निकायों के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप एवं रीति के अनुसार अपने वार्षिक लेखा-विवरण, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार करेंगे।

(2) बोर्ड, एजेंसी , अपील पैनल तथा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदित लेखा-विवरण को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर, लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित, बोर्ड, एजेंसी, अपील पैनल तथा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा-विवरण, उन पर तैयार लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखे जाने के लिए केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे।

42. **लेखों का संधारण**—बोर्ड, एजेंसी, अपील पैनल तथा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नियम 41 के उप-नियम (1) में यथा निर्दिष्ट तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को, संबंधित वर्ष तथा उसके पश्चात् कम-से-कम पाँच वर्ष की अवधि तक अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य अवधि तक सुरक्षित रखेंगे।

43. बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत किया जाना—(1) बोर्ड, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बोर्ड की गतिविधियों का सत्य एवं पूर्ण विवरण होगा।

(2) बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उठाए गए कदमों, किए गए प्रस्तावों, किए गए अनुसंधान तथा अपनाए गए अन्य उपायों का विवरण सम्मिलित होगा।

(3) बोर्ड अपेक्षा अनुसार अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में सम्मिलित न किए गए किसी अन्य मद को भी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकेगा।

44. डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत किया जाना—डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित तिथि को या उससे पूर्व, केंद्रीय सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जिसमें उनके दायित्वों के निर्वहन एवं प्रयोगशाला की गतिविधियों, किए गए अनुसंधानों, आयोजित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों, अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ किए गए सहयोग तथा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान की गई अन्य गतिविधियों का विवरण सम्मिलित होगा।

45. **निधि का उपयोग** — (1) अधिनियम की धारा 24 के अनुसरण में प्राप्त किसी भी रकम को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बैंकों में जमा किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग अधिनियम की धारा 24 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

अनुसूची 1

(नियम 5 का उप-नियम (1) देखें)

स्वतंत्रता एवं गोपनीयता की घोषणा

मैं, ..., जिसे राष्ट्रीय खेलों में डोपिंग रोधी बोर्ड के ..... के रूप में नियुक्त किया गया है, घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ..... के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान एवं विवेक के अनुसार, बिना किसी भय या पक्षपात तथा बिना किसी राग या द्वेष के, निष्ठापूर्वक एवं कर्तव्यनिष्ठा से करूँगा/करूँगी।

मैं, ..., जिसे राष्ट्रीय खेलों में डोप रोधी बोर्ड के ..... के रूप में नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठापूर्वक यह गंभीरतापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, केंद्रीय सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय पैरालंपिक समिति, किसी अंतरराष्ट्रीय परिसंघ, राष्ट्रीय परिसंघ, प्रमुख खेल आयोजन संगठनों, राष्ट्रीय खेल परिसंघ अथवा उनके-अपने बोर्डों एवं संबद्ध निकायों से प्रचालनात्मक तथा संस्थागत रूप से स्वतंत्र हूँ।

मैं, ..., जिसे राष्ट्रीय खेलों में डोपिंग रोधी बोर्ड के ..... के रूप में नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठापूर्वक यह गंभीरतापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .....के रूप में अपने विचारार्थ लाए गए अथवा अपने पद के कारण मुझे ज्ञात होने वाले किसी भी विषय का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को संप्रेषण या प्रकटन नहीं करूँगा/करूँगी, सिवाय इसके कि ..... के रूप में अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो।

तिथि : _____

स्थान: _____ (हस्ताक्षर)

(यह घोषणा अध्यक्ष के मामले में माननीय मंत्री अथवा खेल मंत्रालय के सचिव द्वारा तथा अन्य किसी सदस्य के मामले में अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाएगी)

अनुसूची 2

(नियम 11 का उप-नियम (4) देखें)

प्ररूप क

स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की घोषणा

नाम :

संपर्क विवरण:

ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे बोर्ड अथवा एजेंसी के साथ किसी भी प्रकार के भूतपूर्व या वर्तमान संबंध अथवा हित, चाहे वह वित्तीय, व्यावसायिक, पेशेवर अथवा अन्य किसी प्रकार का हो, प्रकट होता हो और जिससे आपकी स्वतंत्रता अथवा निष्पक्षता के संबंध में न्यायोचित संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो।

ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे राष्ट्रीय डोप रोधी अपील पैनल के सदस्य के रूप में पर्याप्त समय देने की आपकी क्षमता प्रभावित होने की संभावना हो:

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यहाँ प्रकट की गई परिस्थितियों के अतिरिक्त मेरी जानकारी में ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति नहीं है, जिससे किसी भी पक्षकार की दृष्टि में मेरी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगने की संभावना हो।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि राष्ट्रीय डोप रोधी अधिनियम, 2022 के अधीन गठित राष्ट्रीय डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल के सदस्य के पद से पूर्व में मुझे कभी नहीं हटाया गया है।

प्ररूप ख

(नियम 19 का उप-नियम) 4) देखें)

निष्पक्षता की घोषणा

नाम:

संपर्क विवरण:

ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे खिलाड़ी/खिलाड़ियों अथवा एजेंसी के साथ आपके किसी भी भूतपूर्व या वर्तमान संबंध अथवा हित, चाहे वह वित्तीय, व्यावसायिक, पेशेवर या किसी अन्य प्रकार का हो, प्रकट होता हो और जिससे आपकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के संबंध में न्यायोचित संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो।

ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे राष्ट्रीय डोप-रोधी अपील पीठ के सदस्य के रूप में पर्याप्त समय देने की आपकी क्षमता प्रभावित होने की संभावना हो

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यहाँ प्रकट की गई परिस्थितियों के अतिरिक्त मेरी जानकारी में ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति नहीं है, जिससे किसी भी पक्षकार की दृष्टि में मेरी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगने की संभावना हो।

प्ररूप ग

(नियम 17 का उप-नियम (3) देखें)

राष्ट्रीय डोप रोधी अपील पैनल के समक्ष

अपील सं. _____

प्रकरण में :

[अपील कर्ता]

बनाम

[प्रत्यर्थी]

1. पक्षकारों का विवरण, उनके डाक पते तथा ई-मेल पतों सहित।
2. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
3. उस निर्णय का विवरण जिसपर अपील की गई है, जिसमें वह तिथि भी सम्मिलित हो जिस दिन उक्त निर्णय अपीलकर्ता को तामील किया गया था, तथा उस निर्णय की एक प्रति।
4. अधिनियम अथवा अंतरराष्ट्रीय परिसंघों के सुसंगत नियम, विनियम तथा अन्य उपबंध।
5. अपील के आधार
6. प्रार्थनाएं / अपेक्षित अनुतोष।
7. अपीलकर्ता का सत्यापन शपथपत्र।
8. अपील के समर्थन में दस्तावेजों की अनुक्रमणिका तथा सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियाँ।

अनुसूची 3

*(*नियम 20 का उप-नियम (6) देखें*)*

लिखित निवेदन का प्रारूप एवं संरचना

(1) नियम 20 के उप-नियम) 5) के अधीन अपील पैनल को प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित निवेदन:

क) अंग्रेजी में होगा, स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से टाइप किया हुआ होगा तथा ए-4 आकार के कागज के दोनों ओर दोहरी दूरी) डबल स्पेसिंग (में मुद्रित किया जाएगा;

ख) माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार किया जाएगा तथा इसमें एरियल) Arial) फ़ॉन्ट का उपयोग करते हुए फ़ॉन्ट आकार 12 रखा जाएगा;

ग) इसे क्रमिक रूप से क्रमांकित अनुच्छेदों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक अनुच्छेद में यथासंभव एक पृथक अभिकथन (कथन) होगा;

घ) पृष्ठों का क्रमांकन प्रथम पृष्ठ से, जिसमें शीर्षक एवं अनुक्रमणिका भी सम्मिलित हैं, अंतिम पृष्ठ तक संख्यात्मक रूप से किया जाएगा तथा कोई भी पृष्ठ बिना क्रमांक के नहीं छोड़ा जाएगा। अक्षर-संख्यात्मक) अल्फ़ा-न्यूमेरिक (पृष्ठांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा;

ङ) लिखित निवेदन के कथनों के समर्थन में ऐसे दस्तावेज, आंकड़े तथा विवरण संलग्न किए जाएंगे; तथा

च) संबंधित पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाएगा.

(2) प्रत्येक लिखित निवेदन में, यदि कोई दस्तावेज या उनकी प्रतियाँ फाइल की गई हों, तो उनकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करने वाला एक कथन सम्मिलित होगा।.

(3) लिखित निवेदन की हार्ड कॉपियाँ, तीन प्रतियों में, अनुशासनात्मक पैनल को स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जाएँगी।

अनुसूची 4

(नियम 43 के उप-नियम (1) एवं (3) देखें)

[वार्षिक रिपोर्ट का प्ररुप]

1. अध्यक्ष का वक्तव्य
2. समीक्षाधीन वर्ष
3. **बोर्ड की नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का सत्य एवं पूर्ण विवरण, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—**
   (क) खेलों में डोप रोधी विनियमन तथा अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं एवं प्रतिबद्धताओं से संबंधित केंद्रीय सरकार को की गई सिफारिशें;
   (ख) खेलों में डोप के उन्मूलन हेतु एजेंसी को की गई सिफारिशें;
   (ग) खेलों में सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्ष खेल से संबंधित विषय;
   (घ) किए गए अनुसंधान;
   (ङ) अधिसूचित या अंगीकृत डोप रोधी उपायों अथवा नीतियों का कार्यान्वयन।
4. डोप-रोधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एजेंसी द्वारा की गई गतिविधियों की रिपोर्ट।
5. खेलों में डोप-रोधी व्यवस्था पर अधिनियम का प्रभाव
6. बोर्ड के उद्देश्यों और अधिदेश की दृष्टि से, उसके संसाधनों, कर्तव्यों तथा शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, उसकी प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता का निर्धारण।
7. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान एजेंसी के कार्यों का निर्धारण
8. **मुकदमों का विवरण :**
   (क)खेल संबंधी माध्यस्थम न्यायालय के समक्ष लंबित मामले;
   (ख) खेल संबंधी माध्यस्थम न्यायालय के आदेशों से परिलक्षित प्रवृत्तियाँ;
   (ग) अपील पीठ के समक्ष लंबित मामले;
   (घ) अपील पीठ द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या;
   (ङ) उच्च न्यायालयों तथा अन्य मंचों के समक्ष लंबित वाद;
   (च) उच्चतम न्यायालय में अपीलें; तथा
   (छ) महत्त्वपूर्ण निर्णय।
9. **बोर्ड के कार्य-निष्पादन का निर्धारण तथा आगामी वर्ष के लिए उसके विजन , नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण, जिसमें आगामी वर्ष के लिए बोर्ड की डोप-रोधी गतिविधियों की रणनीतिक योजना भी सम्मिलित होगी, परंतु यह केवल उसी तक सीमित नहीं होगा।**
10. **बोर्ड के वित्तीय कार्य-निष्पादन का संक्षिप्त विवरण।**

11. बोर्ड द्वारा कानूनी दायित्वों के अनुपालन न किए जाने का विवरण, यदि कोई हो, तथा उसके कारण

12. संगठनात्मक विषय, जिनमें मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा, लेखासमिति परीक्षा-, सूचना का अधिकार तथा पारदर्शिता सम्मिलित हैं।

13. ऐसे अन्य विवरण, जो हितधारकों को बोर्ड के कार्य समुचित उसका और करने समीक्षा की निष्पादन- बनाएं। सक्षम में रनेक मूल्यांकन

[फा. सं. जे/13/2026- एस.पी-V]

विनील कृष्णा रावेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

G.S.R. 641(E).— In exercise of the powers conferred by section 29 of the National Anti-Doping Act, 2022 (15 of 2022), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Anti-Doping Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) The National Anti-Doping Rules, 2021, and all orders, made or purported to have been made thereunder shall continue in force unless and until they are superseded by any rules, regulations or orders made under the National Anti-Doping Act, 2022.

(4) These rules shall not override the actions taken by the National Anti-Doping Agency prior to the commencement of the Act.

(5) These rules shall not override the actions taken by the National Dope Testing Laboratory prior to the commencement of the Act, but shall, from the date of notification of these rules, supersede all existing practices, procedures and guidelines relating to analytical testing of samples undertaken by it.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Anti-Doping Act, 2022 (15 of 2022);

(b) "Court of Arbitration for Sport" means an international body established in 1984 to settle disputes related to sport through arbitration whose headquarter is in Lausanne, Switzerland;

(c) "International Standard for Laboratories" mean the standards relating to laboratories, adopted by the World Anti-Doping Agency, including revisions and modifications thereof;

(d) "International Standard for Results Management" means the standards relating to results management, adopted by the World Anti-Doping Agency, including revisions and modifications thereof;

(e) "International Standard for Testing and Investigations" mean the standards relating to testing and investigations, adopted by the World Anti-Doping Agency, including revisions and modifications thereof;

(f) "laboratory activities" mean the activities undertaken by dope testing laboratory including the acceptance, handling, storing and conduct of analytical testing of samples, its review, submission of results, management system and support services;

(g) "National Dope Testing Laboratory" means the laboratory specified under sub-section (1) of section 26 of the Act and any other National Dope Testing Laboratory established by the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 26 of the Act; and

(h) "Schedule" means the schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act or the Code, shall have the meaning as assigned to them in the Act or the Code, as the case may be.

CHAPTER 2

NATIONAL BOARD FOR ANTI-DOPING IN SPORTS

3. Definitions for Chapter 2.—For the purposes of this Chapter, the expressions—

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Board appointed in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 7 of the Act; and

(b) "Member" means a Member of the Board appointed in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 7 of the Act and includes the Chairperson thereof.

4. Term of office of Chairperson and Members.—(1) The Chairperson and Members shall be appointed on a part-time basis in accordance with the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of section 7 of the Act.

(2) No person who has held office, within a period of two years prior to the date of his appointment in any International Federation, National Sports Federation, Major Event Organisation, National Olympic Committee, National Paralympic Committee or is in the Government Department with responsibility for sport or anti-doping, shall be appointed as the Chairperson or Member of the Board.

(3) The Chairperson and Members shall hold office for a term of three years or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(4) Subject to the age-limit specified under sub-rule (3), the Chairperson and Members shall be eligible for appointment for a maximum of two terms.

5. Independence and confidentiality of Members.—(1) Every Member shall, before entering upon his duties, sign a declaration of independence and confidentiality, in the form as specified in Schedule I.

(2) The Members shall be operationally and institutionally independent from the Agency and the Central Government, and the Board shall conduct its proceedings without any interference from the Agency, the Central Government, or any other third-party.

6. Vacancy.—Any vacancy in the office of the Chairperson or Member shall be filled in accordance with sub-section (6) of section 7 of the Act.

7. Conditions of service.—(1) The Chairperson and Members shall be entitled to receive a fee of rupees twenty-five thousand and rupees twenty thousand respectively, for attending a meeting of the Board.

(2) The Chairperson and Members shall be entitled to the actual expenses on air-conditioned taxi charges incurred by him for attending a meeting of the Board and the reimbursement shall be claimed on self-certification basis, in case conveyance has not been provided by the Board.

(3) In case the Chairperson or Member is called upon to go out of the ordinary place of his residence for discharging his duties, he shall be entitled to travelling allowance, daily allowance and accommodation at the same rate as are applicable to—

(a) a Secretary to the Government of India, in case of the Chairperson; and

(b) an Additional Secretary to the Government of India, in case of other Members.

8. Residuary provisions.—For the purposes of the implementation of the provisions of these rules, the matters with respect to which no express provision has been made under this Chapter, shall be referred to the Central Government for its decision.

CHAPTER 3

NATIONAL ANTI-DOPING AGENCY

9. Appointment of Director General.—(1) The Central Government shall appoint the Director General of the Agency from amongst the persons of integrity and outstanding ability possessing experience in the field of public administration.

(2) The terms and conditions of appointment and service of the Director General shall be as per the National Anti-Doping Agency, Director General (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2026.

CHAPTER 4

NATIONAL ANTI-DOPING APPEAL PANEL

PART A

APPOINTMENT, TERM OF OFFICE AND REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE NATIONAL ANTI-DOPING APPEAL PANEL

10. Definitions for Chapter 4.—For the purposes of this Chapter, the expressions—

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Appeal Panel appointed under section 12 of the Act;

(b) "Member" means the Members of the Appeal Panel, and includes the Chairperson and Vice-Chairpersons; and

(c) "Vice-Chairperson" means a Vice-Chairperson of the Appeal Panel appointed under section 12 of the Act.

11. Constitution and appointment of Appeal Panel.—(1) The Central Government shall constitute an independent Appeal Panel, comprising of the following, namely:—

(a) a Chairperson, who is a retired Judge of a High Court;

(b) a Vice-Chairperson, who is a legal expert, having not less than ten years of standing as legal practitioner;

(c) two members, who are registered medical practitioners, having not less than ten years of standing; and

(d) two members, who are, or have been, retired eminent athletes or sports administrators for not less than ten years.

(2) No person who has held office, within a period of two years prior to the date of his appointment in any International Federation, National Sports Federation, Major Event Organisation, National Olympic Committee, or National Paralympic Committee, shall be appointed as the Chairperson or Member of the Appeal Panel.

(3) The Central Government shall, in respect of Members other than the Chairperson, take into consideration their anti-doping experience for appointment referred to in sub-rule (1).

(4) Upon appointment to the Appeal Panel under sub-rule (1), each Member shall submit a declaration of independence and impartiality in terms of Form A of Schedule II, and such declaration shall be updated in cases where certain facts and circumstances bringing into question any impartiality arises during the hearing process.

12. Term of office, reappointment and remuneration.—(1) The Members of the Appeal Panel shall be part-time Members and hold office for a term of two years from the date they enter upon their respective office, and shall be eligible for reappointment for a maximum of two more terms.

(2) The Chairperson and other Members shall be entitled to receive remuneration by way of a fee of rupees twenty-five thousand and rupees twenty thousand respectively, for attending each meeting and hearing of the Appeal Panel.

13. Resignation.—The Chairperson or any other Member may, by notice in writing addressed to the Central Government, resign from his office, and on such resignation being accepted by the Central Government, the Chairperson or Member, as the case may be, shall be deemed to have vacated his office.

14. Vacancy.—Any vacancy occurring in the office of any of the Members of the Appeal Panel, whether by reason of death, resignation or removal from office, shall be filled by the Central Government by making a fresh appointment within a period of six months from the date on which such vacancy occurs and the Member so appointed shall hold office for the remainder of the term of office of the person in whose place he is so appointed.

15. Removal of Chairperson, Vice-Chairperson and Member.—(1) The Central Government shall remove any Member of the Appeal Panel from office, who has—

(a) been adjudged an insolvent;

(b) been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude;

(c) become physically or mentally incapable of acting as a Member;

(d) acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or

(e) if the Member has so abused his position as to render his continuance in office as prejudicial to the public interest.

(2) A Member proposed to be removed on the grounds specified in clauses (c) to (e) of sub-rule (1), shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of such charges.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairperson of the Appeal Panel shall not be removed from his office on the grounds specified therein unless the Chief Justice of India or his nominee Judge, on a reference being made to him in this behalf by the Central Government, has on inquiry held in accordance with such procedure as he may specify in this behalf, recommended the removal.

16. Operational and institutional independence of Appeal Panel.—(1) The Members of the Appeal Panel shall have operational and institutional independence, as defined under the Code, from the Board and the Agency.

(2) No Member of the Appeal Panel shall be appointed from amongst—

(a) the Members, officers, employees and consultants of the Board;

(b) the Members, officers, employees and consultants of the Agency or its affiliates; and

(c) the Members and staff of the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India, National Sports Federations or their respective boards and affiliates.

(3) The Appeal Panel shall not in any way be administered by, connected or subject to the Agency and shall conduct its hearing and decision-making processes without any interference from the Board, Agency, the Central Government, or any other third-party.

PART B

PROVISIONS RELATING TO APPEALS

17. Appealable decisions.—(1) The Appeal Panel shall hear an appeal filed by any person aggrieved by any decision under the Act, in respect of the following, namely:—

(a) a refusal to grant Therapeutic Use Exemption under section 5 of the Act;

(b) imposition or non-imposition of consequences for an Anti-Doping Rule Violation under section 6 of the Act;

(c) a decision that an Anti-Doping Rule Violation was committed, or a decision that no Anti-Doping Rule Violation was committed;

(d) a decision that an Anti-Doping Rule Violation proceeding cannot go forward for procedural reasons, including prescription;

(e) a decision by the Agency not to bring forward an Adverse Analytical Finding or an Atypical Finding as an Anti-Doping Rule Violation, or a decision not to go forward with an Anti-Doping Rule Violation after an investigation in accordance with the International Standard for Results Management;

(f) a decision to impose, or lift, a Provisional Suspension as a result of a Provisional Hearing;

(g) the Agency's failure to comply with Article 7.4 of the Code;

(h) a decision that the Agency lacks authority to rule on an alleged Anti-Doping Rule Violation or its consequences;

(i) a decision to suspend, or not suspend, consequences or to reinstate, or not reinstate, consequences under Article 10.7.1 of the Code;

(j) failure to comply with Article 7.1.5 of the Code;

(k) failure to comply with Article 10.8.1 of the Code;

(l) a decision under Article 10.14.3 of the Code;

(m) a decision by the Agency not to implement another Anti-Doping Organisation's decision under Article 15 of the Code; and

(n) a decision under Article 27.3 of the Code.

(2) In terms of sub-section (9) of section 23 of the Act, an appeal against the decision of the Appeal Panel under this Chapter, may be preferred before the Court of Arbitration for Sport.

(3) Any person aggrieved by decisions as referred to in sub-rule (1), may file an appeal against such decisions in the manner as specified in Form C of Schedule II.

18. Time for filing appeals.—(1) An aggrieved person shall file an appeal in accordance with rule 17 within a period of twenty-one days from the date of receipt of the decision.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a person who was not a party to the proceedings leading to an appealable decision as referred to in sub-rule (1) of rule 17, is aggrieved by such decision and seeks to file an appeal, the following procedure shall apply, namely:—

(a) within fifteen days from notice of the appealable decision, such person shall have the right to request a copy of the full case file pertaining to such decision from the Agency or the Disciplinary Panel, as the case may be; and

(b) if a request under clause (a) is made within the period specified therein, then, the person making such request shall file an appeal before the Appeal Panel within a period of twenty-one days from the date of receipt of such case file.

(3) The World Anti-Doping Agency shall file an appeal, if any, in respect of appealable decisions as referred to in sub-rule (1) of rule 17, by the later of twenty-one days after the expiry of the last day on which an aggrieved person could have filed their appeal under sub-rule (2) or twenty-one days after the World Anti-Doping Agency's receipt of the complete case file relating to the decision.

19. Appeal Panels.—(1) The Chairperson, or in his absence, the Vice-Chairperson, shall, pursuant to sub-section (5) of section 12 of the Act, constitute a panel of three members from amongst the persons appointed to the Appeal Panel under sub-rule (1) of rule 11, to hear the appeals under rule 17, and each such panel shall be comprising of—

(a) the Chairperson or the Vice-Chairperson as its Chairperson;

(b) one Member who is a registered medical practitioner; and

(c) one Member who is a sports administrator or a retired eminent athlete:

Provided that a Member in a panel shall be a person who has not previously been involved in the investigation, Therapeutic Use Exemption decision, pre-adjudication or Results Management, including at the level of the Disciplinary Panel or the Appeal Panel, relating to an athlete or other person who is a party in the appeal before such panel.

(2) If a Member appointed to a panel under sub-rule (1) is unwilling or unable, for whatever reason, to hear the appeal, the Chairperson or in his absence, the Vice-Chairperson, may appoint a new panel within a reasonable time.

(3) The parties to the appeal may, in case of any potential conflict of interest of any Member of the panel under sub-rule (1), challenge the composition of the panel, and any such challenge shall be decided by a Member of the Appeal Panel, not forming part of the said panel.

(4) Upon constitution of a panel under sub-rule (1), each Member of such panel shall sign a declaration of impartiality in terms of Form B of Schedule II, and a copy of the said declaration shall be made available to the parties to the appeal.

20. Hearing before Appeal Panel.—(1) A panel constituted under sub-rule (1) of rule 19 shall, upon its assessment of the appeal filed under rule 17, issue a notice to the relevant parties, specifying the date for hearing of the appeal.

(2) A notice shall be served to the parties in the following manner, at the address for service specified in the pleadings before the Appeal Panel, namely:—

(a) by delivering or tendering the notice to that person or his duly authorised representative through email correspondence; or

(b) by sending the notice by registered post with acknowledgment due to the address of his place of residence, or his last known place of residence, or the place where he carried on or last carried on business or personally works or last worked for gain; or

(c) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides, or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof shall be witnessed by two persons; or

(d) if the notice cannot be served under clause (a) or clause (b) or clause (c), by publishing in a leading newspaper, both in vernacular and in English, having wide circulation of area or jurisdiction in which the person resides, or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

(3) The parties to the appeal may engage authorised representatives to appear, plead and act on their respective behalf before the appropriate panel on the date for hearing specified in the notice under sub-rule (1), or such other date to which the hearing may be adjourned.

(4) Where it appears to the panel that an athlete or other person appearing before it does not have sufficient means to engage a pleader, the panel may assign a pleader for his defence at the expense of the Appeal Panel.

(5) The panel shall, prior to making any decision, give a reasonable opportunity to the parties—

(a) for hearing;

(b) to access and present relevant evidence;

(c) to submit written and oral submissions; and

(d) to call and examine witnesses.

(6) The parties to the hearing may submit their written submissions, not later than twenty days from the issuance of notice under sub-rule (1), and as far as practicable, in the manner specified in Schedule III:

Provided that where submission in the manner specified under sub-rule (6) is not possible, the parties to the hearing shall make their written submissions with sufficient details and documentation in support of the averments made in such written submission.

(7) Upon failure to appear before the panel under sub-rule (3), the panel shall proceed to decide the appeal on the basis of the written submissions of the relevant parties, if any, the order of the Agency or the Disciplinary Panel, as the case may be, being appealed against, and the material on record.

(8) Representatives of the concerned International Federation, the concerned National Sports Federation, the Indian Olympic Association or the Paralympic Committee of India, and the World Anti-Doping Agency shall have the right to attend hearings of the Appeal Panel as observers.

(9) The Appeal Panel shall complete hearings as expeditiously as possible and endeavour to dispose of appeals within a period of three months from the date of the order so appealed:

Provided that in case the hearing is in connection with an event or an athlete or other person in respect of such event, the Appeal Panel may provide for a shorter timeline to dispose of such matter.

(10) Subject to the provisions of the Act and this Chapter, the Appeal Panel shall have the power to regulate its own procedure and shall endeavour to hear and determine appeals in accordance with the Code and the International Standard for Results Management.

21. Decision of Appeal Panel.—(1) Upon completion of hearing under rule 20, the Appeal Panel shall issue its order in writing, stating the reasons for the decision, while taking into consideration the relevant provisions of the Act, the Code, and the principles set forth in the International Standard for Results Management.

(2) Any order issued under sub-rule (1) shall, to the extent applicable, be comprising of following—

(a) Jurisdictional basis and applicable rules and regulations;

(b) Detailed factual background;

(c) Anti-doping Rule Violations committed;

(d) Applicable consequences; and

(e) Appeal routes and deadlines to appeal for the athlete or other person.

(3) The Appeal Panel shall promptly notify the decision under sub-rule (1) to—

(a) the relevant parties;

(b) the National Sports Federation of the concerned athlete or other person;

(c) other bodies having the right to appeal as specified under sub-section (9) of section 23 of the Act; and

(d) the Anti-Doping Administration and Management System established under the Code.

(4) The Agency shall publicly disclose the decision under sub-rule (1), as required under Article 14.3 of the Code.

(5) All hearings and determinations of consequences of Anti-Doping Rule Violations under this Part shall be in accordance with the Act and the rules and regulations made thereunder.

CHAPTER 5

DOPE TESTING LABORATORIES

PART A

ESTABLISHMENT AND RECOGNITION OF DOPE TESTING LABORATORIES

22. National Dope Testing Laboratory.—(1) The National Dope Testing Laboratory established and functioning as such prior to the commencement of the Act, and recognised as the principal dope testing laboratory under sub-section (1) of section 26, shall be governed by these rules from the date of notification thereof.

(2) The Central Government may establish additional national dope testing laboratories, anywhere in the territory of India, and each such laboratory shall obtain and maintain the requisite accreditations of the World Anti-Doping Agency and of such other accrediting bodies, in accordance with International Standard for Laboratories.

23. Recognition of dope testing laboratories.—The Central Government may**,** by notification, also recognise one or more laboratories located within India, as dope testing laboratories, subject to such laboratory obtaining and maintaining requisite accreditations or approval as an Athlete Biological Passport Laboratory by World Anti-Doping Agency, in accordance with International Standard for Laboratories.

Explanation.—For the purpose of this rule, Athlete Biological Passport Laboratory is a specialised laboratory approved by World Anti-Doping Agency to conduct blood analyses for the Athlete Biological Passport programme.

PART B

PROVISIONS APPLICABLE TO DOPE TESTING LABORATORIES

24. Functions of dope testing laboratory.—Every dope testing laboratory shall perform the following functions, namely:—

(a) analyse, test and submit reports of test results relating to samples of athletes in accordance with the rule 25;

(b) promote and support the prevention of, and the fight against, doping in sports in accordance with sub-rule (2) of rule 30;

(c) maintain quality control system of analytical tests, accreditation process and the Code of Ethics in accordance with International Standard for Laboratories and International Organisation for Standardisation/ International Electrotechnical Commission 17025 (ISO/IEC 17025) that are accepted and adopted by the World Anti-Doping Agency;

(d) maintain professional ethics and public credibility in conducting analytical tests in accordance with rule 29;

(e) implementing policies, control and prevention programmes to comply with the principles of the Code, International Standard for Laboratories and measures set out in the Convention;

(f) collaborate with other dope testing laboratories, international dope testing laboratories having accreditation or approval from World Anti-Doping Agency, signatories to the Code, and other relevant stakeholders, for the purposes of acquiring knowledge of latest developments in the field of anti-doping;

(g) implementing research programs in the field of anti-doping and establishing research collaborations with research institutions and other dope testing laboratories, international dope testing laboratories having accreditation or approval from World Anti-Doping Agency; and

(h) any other function consistent with the Code and International Standard for Laboratories, which may be specified by the Central Government.

25. Testing of samples of athletes.—(1) Every dope testing laboratory may receive samples of athletes, which have been collected, sealed and transported to it in the manner specified in the International Standard for Testing and Investigations.

(2) Every dope testing laboratory shall analyse the samples received pursuant to sub-rule (1), in accordance with the procedure specified in the International Standard for Laboratories.

(3) Every dope testing laboratory shall complete the analysis of samples within the time period specified in the International Standard for Laboratories, or as may be agreed between the Anti-Doping Organisation and the dope testing laboratory.

(4) After processing, analysing and investigating the sample, the dope testing laboratory shall—

(a) arrive at the final conclusion based upon negative, positive or atypical finding or not analysed result and submit the report of the analytical test and investigation to the concerned signatory and World Anti-Doping Agency through Anti-Doping Administration Management System in accordance with the International Standard for Laboratories; and

(b) store the sample and maintain the analytical data and information in accordance with the standards set out by the International Standard for Laboratories, and the Code.

(5) A dope testing laboratory may, with the prior approval of the Anti-Doping Organisation, and in accordance with the International Standard for Laboratories, sub-contract analytical testing of samples, to other dope testing laboratories or international dope testing laboratories accredited by World Anti-Doping Agency, where under limited circumstances such dope testing laboratory may not have the methodology or capability to undertake the specific test.

26. Standards for dope testing laboratories.—(1) Every dope testing laboratory shall follow such procedure in all its activities, including analytical and custodial standards, as specified in the International Standard for Laboratories.

(2) Every dope testing laboratory shall produce valid test results which are based on reliable evidentiary data as specified in the International Standard for Laboratories.

27. Laboratory facilities and instruments for testing.—(1) Every dope testing laboratory, in accordance with the International Standard for Laboratories, shall have the facilities, including—

(a) sufficient laboratory and administrative space, to allow separate, restricted and dedicated areas for analytical and administrative operations;

(b) dedicated and restricted sample handling and sample storage areas;

(c) execution of firewalls and other cyber security measures;

(d) information technology infrastructure;

(e) execution of data and information management system;

(f) central server of internet which allows secure data handling; and

(g) conditions for technical support and instrument maintenance services.

(2) Every dope testing laboratory shall be equipped with such suitable instruments including measuring instruments, software, measurement standards, reference materials, reference collections, chemicals, reagents, consumables or auxiliary apparatus in accordance with the International Standard for Laboratories, to ensure accuracy and traceability in performance of laboratory activities.

(3) Every dope testing laboratory shall prepare its quality manual and conduct all procedures as per the requirement of International Organisation for Standardisation/ International Electrotechnical Commission 17025 (ISO/IEC 17025), International Standard for Laboratories and related Technical Documents and Technical Letters that are accepted and adopted by the World Anti-Doping Agency.

(4) Every dope testing laboratory shall ensure appropriate environmental conditions for all laboratory instruments and equipment critical to laboratory operations, in accordance with the International Standard for Laboratories.

(5) Any relocation of a dope testing laboratory and its associated facilities shall be done in accordance with International Organisation for Standardisation/ International Electrotechnical Commission 17025 (ISO/IEC 17025) and the International Standard for Laboratories.

28. Impartiality, confidentiality and security.—(1) Every dope testing laboratory shall ensure impartiality and confidentiality of data, information and operation in its practices, in accordance with the International Standard for Laboratories.

(2) Subject to the provisions of the Act or rules or regulations made thereunder, or any other law for the time being in force, all personnel engaged by the dope testing laboratory, including any service provider, personnel of any external body or an individual acting on behalf of any such laboratory, shall keep the information obtained or created during the performance of laboratory activities or otherwise, confidential.

(3) Every dope testing laboratory shall implement measures, including technical and organisational safeguards consistent with the best practices, to prevent and to detect unauthorised access and copying of data and information, and ensure compliance with the International Standard for Laboratories.

29. Professional ethics and public credibility in sample testing.—(1) In order to maintain professional ethics and public credibility in conducting analytical tests, every dope testing laboratory shall observe the principles of the International Standard for Laboratories, including the code of ethics specified therein.

(2) Without prejudice to sub-rule (1) every dope testing laboratory shall—

(a) carry out its professional duties competently and with integrity;

(b) test the sample in accordance with the procedure laid down by the World Anti-Doping Agency to only obtain analytical evidence so as to prove that the athlete has made use of Prohibited Substance or Prohibited Method;

(c) ensure the sample testing and submission of its report in accordance with the procedure laid down in the International Standard for Laboratories;

(d) maintain and promote athletes' confidentiality and privacy;

(e) not use results of the analyses to the detriment of an athlete, to benefit itself or any other person;

(f) make available to Disciplinary Panel or the Appeal Panel, as the case may be, the scientific evidence of the analytical test whenever required;

(g) not accept samples directly from athlete;

(h) not provide to an athlete, information about test method which could be used to avoid the detection of doping in sports; and

(i) not advise any athlete in avoiding collection of a representative sample including advice on masking strategies or detection windows.

30. Acceptance and utilisation of funds.—(1) Every dope testing laboratory shall, in compliance with the code of ethics specified under the International Standard for Laboratories, accept grants, sponsorship, donations, subscription, aid or testing fees.

(2) The amounts collected under sub-rule (1) may be utilised by the dope testing laboratory for activities such as—

(a) supporting research efforts in the field of anti-doping; and

(b) organising and participating in workshops, seminars, symposiums and conferences to raise awareness of doping and dope testing in sports.

31. Operational and administrative independence of dope testing laboratory.—(1) The officers and employees of each dope testing laboratory shall have operational and administrative independence from the Board, the Agency, an Anti-Doping Organisation, any other sport organisation, or Government or Department of Sport, or other Government body responsible for sport performance, and shall conduct its affairs and decision-making processes without any interference from such entities.

(2) No officer and employee of a dope testing laboratory shall be appointed from amongst—

(a) the members, officers, employees and consultants of the Board;

(b) the members, officers, employees and consultants of the Agency; and

(c) the members and staff of the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India, National Sports Federations or their respective boards and affiliates.

32. Ability of dope testing laboratories to undertake sample analysis other than for athletes.—(1) A dope testing laboratory may accept samples for forms of analysis, other than in respect of athletes as provided in rule 25, that are not under the scope of the accreditation from World Anti-Doping Agency, including animal sports testing, forensic testing, clinical testing, and drugs of abuse testing.

(2) The dope testing laboratories undertaking testing as referred to in sub-rule (1), shall not declare or represent any such testing as being covered under their World Anti-Doping Agency accreditation status.

33. Secondary use or disposal of samples.—Each dope testing laboratory shall adhere to the standards in respect of secondary use or disposal of samples as specified under the International Standard for Laboratories.

CHAPTER 6

PROTECTED PERSON, RECREATIONAL ATHLETE AND MINOR

34. Definitions for Chapter 6.—For the purposes of this Chapter, the expressions—

(a) "minor" means a natural person who has not reached the age of eighteen years;

(b) "protected person" means an athlete or other natural person who at the time of Anti-Doping Rule Violation—

(i) has not reached the age of sixteen years; or

(ii) has not reached the age of eighteen years and is not included in any Registered Testing Pool and has never competed in any international event in an open category; or

(iii) for reasons other than age has been determined to lack legal capacity, as supported by proper documentation, in accordance with the laws for the time being in force in India; and

(c) "recreational athlete" means an athlete who participates or engages in sports for the purposes of fitness but does not compete otherwise in any event:

Provided that the term shall not include any person who, within the five years prior to committing any Anti-Doping Rule Violation, has been an International-Level Athlete, as defined by each International Federation consistent with the International Standard for Testing and Investigations, or National-Level Athlete, as defined by each National Anti-Doping Organisation consistent with the International Standard for Testing and Investigations, has represented any country in an international event in an open category or has been included within any Registered Testing Pool or other whereabouts information pool maintained by any International Federation or National Anti-Doping Organisation.

35. Scope and applicability.—This Chapter shall apply to protected persons, recreational athletes and minors.

36. Sample collection, testing and investigation and hearing in relation to protected person.—(1) A protected person who is an International-Level Athlete, or a National-Level Athlete shall be subject to testing and investigation in accordance with the rules and regulations framed under the Act.

(2) The parent, legal guardian or other authorised representative of the protected person may be present throughout the process of sample collection, and the proceedings, if any, before the Disciplinary Panel or the Appeal Panel:

Provided that if such persons fail to appear before the Disciplinary Panel or the Appeal Panel, as the case may be, within the time period specified, the relevant panel shall proceed to decide the matter in accordance with the applicable rules or regulations made under the Act.

(3) The collection of samples of a Protected Person shall be in accordance with the International Standard for Testing and Investigations as applicable to all athletes, unless modifications are necessary due to the Protected Person's legal capacity without compromising the integrity of the process of sample collection.

(4) Where a protected person is found to have committed an Anti-Doping Rule Violation, the Agency shall conduct an investigation against the athlete support personnel associated with such protected person.

37. Consequences of Anti-Doping Rule Violations.—(1) The consequences of Anti-Doping Rule Violations in respect of protected persons and recreational athletes, other than the violations specified in the table below, shall be such as specified in regulations made by the Agency in this regard—

Sl. No.	Anti-Doping Rule Violation	Consequence
1.	Article 2.3 and Article 2.5 of the Code as incorporated in the Schedule to the Act	*For protected person or recreational athlete*— Depending on the protected person or recreational athlete's degree of fault— (a) minimum— a reprimand and no period of ineligibility; and (b) maximum— two year period of ineligibility.
2.	Article 2.7 and Article 2.8 of the Code as incorporated in the Schedule to the Act	*For protected person or recreational athlete*— It shall be treated as a particularly serious violation. Depending on the seriousness of the violation— (a) minimum— four year period of ineligibility; and

		(b) maximum— lifetime ineligibility.
		For athlete support personnel— A violation involving a protected person shall be considered a particularly serious violation. Violations other than for specified substances, shall result in lifetime ineligibility, and such personnel shall be reported to the competent administrative, professional or judicial authorities in accordance with the laws for the time being in force, in India.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in respect of Anti-Doping Rule Violations not involving a substance of abuse, and where the protected person or recreational athlete can establish no significant fault or negligence, then the period of ineligibility shall be—

(a) at a minimum, a reprimand and no period of ineligibility; and

(b) at a maximum, two year period of ineligibility, depending on the protected person or recreational athlete's degree of fault.

38. Public disclosure of results of Anti-Doping Rule Violation.—(1) The mandatory public disclosure of the results under Article 14.3.2 of the Code, shall not be required where the athlete or other person who has been found to have committed an Anti-Doping Rule Violation is a minor, protected person or recreational athlete.

(2) Any optional public disclosure requirement under the Code, involving a minor, protected person or recreational athlete shall be proportionate to the facts and circumstances of the case.

39. Rehabilitation of persons found guilty of Anti-Doping Rule Violation.—The Agency may issue guidelines for rehabilitation of minor, protected person, and recreational athlete found guilty of any Anti-Doping Rule Violation as it may deem fit.

40. Prohibition against participation in events with protected person during period of ineligibility.—An athlete or other person subject to a period of ineligibility longer than four years may, after completing such period of ineligibility, participate as an athlete in local sport events not sanctioned or otherwise under the authority of a Code Signatory or member of a Code Signatory, but only so long as the local sport event is not at a level that could otherwise qualify such athlete or other person directly or indirectly to compete in, (or accumulate points toward) a national championship or international event, and does not involve the athlete or other person working in any capacity with protected persons.

CHAPTER 7

MISCELLANEOUS

41. Annual statement of accounts and other relevant records.—(1) At the end of every financial year, the Board, the Agency, the Appeal Panel and the National Dope Testing Laboratory shall prepare its annual statements of accounts, balance sheet, income and expenditure account, and receipt and payment account in the form and manner as specified by the Comptroller and Auditor General of India for statutory bodies of the Government of India.

(2) The approved statement of accounts of the Board, the Agency, the Appeal Panel and the National Dope Testing Laboratory shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, for the purposes of audit, within three months of the end of the financial year.

(3) The annual statement of accounts of the Board, the Agency, the Appeal Panel and the National Dope Testing Laboratory as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, along with the audit report thereon for every financial year shall be forwarded to the Central Government, for laying before each House of Parliament.

42. Maintenance of accounts.—The Board, the Agency, the Appeal Panel and the National Dope Testing Laboratory shall preserve the balance sheet, the income and expenditure account, and the receipt and payment account, as referred to in sub-rule (1) of rule 41, for a period of at least five years or such other period as may be specified by the Central Government, following the year to which they relate.

43. Preparation and furnishing of annual report by Board.—(1) The Board shall prepare an annual report in the form specified in Schedule IV and submit a copy of such report to the Central Government, giving a true and full account of the Board's activities during the previous year.

(2) The annual report of the Board shall contain such details of the steps taken, proposals made, research undertaken and other measures undertaken by it in pursuance of its functions under section 10 of the Act.

(3) The Board may also include in the annual report any other item, not included in the Form specified in Schedule IV, if so required to give a full account of the Board's activities.

44. Preparation and furnishing of annual report by dope testing laboratories.—On or before such date as may be determined by the Central Government, dope testing laboratories, shall submit to the Central Government every year the annual report which shall include the performance of functions and laboratory activities, and researches undertaken, workshops, seminars and conferences organised, collaboration made with other dope testing laboratories and other activities under taken during the preceding year.

45. Utilisation of funds.—(1) Any amounts received pursuant to section 24 of the Act shall be deposited in such banks as may be approved by the Central Government.

(2) The amounts referred in sub-rule (1) shall be utilised in accordance with the provisions of section 24 of the Act.

SCHEDULE I

(See sub-rule (1) of rule 5)

DECLARATION OF INDEPENDENCE AND CONFIDENTIALITY

I, _____, having been appointed as _____ of the National Board for Anti-Doping in Sports, do solemnly affirm that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as _____ to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will.

I, _____, having been appointed as _____ of the National Board for Anti-Doping in Sports, do solemnly affirm that I am operationally and institutionally independent from the National Anti-Doping Agency, the Central Government, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India, any international federation, national federation, Major Event Organizations, national sports federation, or their respective boards and affiliates.

I, _____, having been appointed as _____ of the National Board for Anti-Doping in Sports, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as _____, except as may be required for the due discharge of my duties as _____.

Date: _____

Place: _____

(Signature)

(Declaration to be administered by Hon'ble Minister or Secretary to Ministry of Sports, in case of Chairperson, and by the Chairperson, in case of any other Member)

SCHEDULE II

(See sub-rule (4) of rule 11)

FORM A

DECLARATION OF INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY

NAME:

CONTACT DETAILS:

CIRCUMSTANCES DISCLOSING ANY PAST OR PRESENT RELATIONSHIP WITH OR INTEREST OR RELATIONSHIP WITH THE BOARD OR THE AGENCY, WHETHER FINANCIAL, BUSINESS, PROFESSIONAL OR OTHER KIND, WHICH IS LIKELY TO GIVE RISE TO JUSTIFIABLE DOUBTS AS TO YOUR INDEPENDENCE OR IMPARTIALITY:

CIRCUMSTANCES WHICH ARE LIKELY TO AFFECT YOUR ABILITY TO DEVOTE

SUFFICIENT TIME AS A MEMBER OF THE NATIONAL ANTI-DOPING APPEAL PANEL:

I DECLARE THAT THERE ARE NO FACTS OR CIRCUMSTANCES KNOWN TO ME WHICH MIGHT CALL INTO QUESTION MY IMPARTIALITY IN THE EYES OF ANY OF THE PARTIES, OTHER THAN THOSE CIRCUMSTANCES DISCLOSED HEREIN.

I DECLARE THAT I HAVE NOT BEEN PREVIOUSLY REMOVED AS A MEMBER OF THE NATIONAL ANTI-DOPING DISCIPLINARY PANEL CONSTITUTED UNDER THE NATIONAL ANTI-DOPING ACT, 2022

FORM B

(See sub-rule (4) of rule 19)

DECLARATION OF IMPARTIALITY

NAME:

CONTACT DETAILS:

CIRCUMSTANCES DISCLOSING ANY PAST OR PRESENT RELATIONSHIP WITH OR INTEREST OR RELATIONSHIP WITH THE ATHLETE(S) OR THE AGENCY, WHETHER FINANCIAL, BUSINESS, PROFESSIONAL OR OTHER KIND, WHICH IS LIKELY TO GIVE RISE TO JUSTIFIABLE DOUBTS AS TO YOUR INDEPENDENCE OR IMPARTIALITY:

CIRCUMSTANCES WHICH ARE LIKELY TO AFFECT YOUR ABILITY TO DEVOTE

SUFFICIENT TIME AS A MEMBER OF THE NATIONAL ANTI-DOPING APPEAL BENCH:

I DECLARE THAT THERE ARE NO FACTS OR CIRCUMSTANCES KNOWN TO ME WHICH MIGHT CALL INTO QUESTION MY IMPARTIALITY IN THE EYES OF ANY OF THE PARTIES, OTHER THAN THOSE CIRCUMSTANCES DISCLOSED HEREIN.

FORM C

(See sub-rule (3) of rule 17)

BEFORE THE NATIONAL ANTI DOPING APPEAL PANEL

Appeal No. ____

In the matter of:

[Appellant]

Versus

[Respondent]

1. Memo of Parties along with physical and email addresses
2. Factual Background
3. Details of the decision appealed against, including the date of which it was served on the appellant, and a copy of such decision
4. Relevant rules, regulations and other provisions of the Act or of international federations
5. Grounds for Appeal
6. Prayers / Relief Sought
7. Verifying affidavit of Appellant
8. Index of documents in support of appeal, with copies of relevant documents

SCHEDULE III

(See sub-rule (6) of rule 20)

FORMAT AND STRUCTURE OF WRITTEN SUBMISSION

(1) Written submissions submitted to the Appeal Panel under sub-rule (5) of rule 20:

(a) shall be in English, fairly and legibly type written, and printed in double spacing on both sides of A-4 size white paper;

(b) shall be prepared in Microsoft Word with the font Arial and font size 12;

(c) shall be divided into paragraphs that are numbered consecutively, each paragraph containing, as nearly as may be, a separate averment;

(d) shall be paginated numerically from the first page, including title, index, to the last page, and no page shall be left unnumbered. Alpha-numeric pagination shall not be accepted;

(e) shall be accompanied by such documents, data, and statements in support of the averments made in the written submission; and

(f) shall be signed and verified by the party concerned.

(2) Every written submission shall contain a statement certifying the authenticity of the documents or copies thereof filed, if any.

(3) Hard copies of the written submissions, in triplicate, shall be submitted to the Disciplinary Panel, in person or through an authorised representative.

SCHEDULE IV

(See sub-rules (1) and (3) of rule 43)

[Form of Annual Report]

1. Chairperson's statement
2. The year in review
3. A true and full account of policies, programmes and activities of the Board in respect of:
   (a) recommendations made to the Central Government relating to regulating anti-doping in sports and international obligations and commitments;
   (b) recommendations made to the Agency for elimination of doping in sports;
   (c) matters of integrity and fair play in sports;
   (d) researches undertaken;
   (e) implementation of the notified or adopted anti-doping measures or policies.
4. Report on the activities of Agency towards ensuring compliance with the anti-doping rules
5. Impact of the Act on anti-doping in sports
6. An assessment of the effectiveness and the efficiency of the Board in terms of its objectives and mandate keeping in view its resources, duties and powers.
7. Assessment of the functioning of the Agency for the previous financial year.
8. Litigations:
   (a) Pending cases before the Court of Arbitration for Sport;
   (b) Trends observed from orders of the Court of Arbitration for Sport;
   (c) Pending cases before the Appeal Panel;
   (d) Number of cases disposed of by the Appeal Panel;
   (e) Litigations in High Courts and other Forums;
   (f) Appeals in Supreme Court;
   (g) Important judgements
9. An assessment of performance of the Board and its vision, policies and programmes for the following year, including but not limited to strategic planning of the Board's anti-doping activities for the forthcoming year.
10. A summary of financial performance of the Board
11. A statement of non-compliance, if any, with statutory obligations by the Board and the reason for the same.
12. Organisational Matters, including Human Resources, Finance and Accounts, Audit Committee, Right to Information and Transparency.
13. Such other details as would enable the stakeholders to review and appreciate the performance of the Board.

[F. No. J/13/2026 –SP-V]

VINEEL KRISHNA RAVELLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.21 23:08:14 +05'30'